मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
मुख्यालय, टी.टी.नगर भोपाल

दूरभाष नं. 0755— 2674701
वेब साईटः — www.apexbank.in

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक एवं प्रदेश की 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में 1—1 सहकारी प्रशिक्षु (Cooperative Intern) के कुल 39 पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक एवं प्रदेश की 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में 1—1 सहकारी प्रशिक्षु के (Cooperative Intern) 38 पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु एमपी आनलाईन के माध्यम से आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

भर्ती प्रक्रिया का प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार हैः—

गतिविधि	विवरण
आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	04.09.2024
आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	14.09.2024
आवेदन शुल्क	निरंक
एमपी आनलाईन पोर्टल शुल्क	रु 200.00

निर्धारित अर्हताएँ :

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मार्केटिंग मैनेजमेंट/कोआपरेटिव मैनेजमेंट/एग्री बिजनेस मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में एमबीए अथवा समकक्ष डिग्री।

आवश्यक अहर्ताएँ :

- कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य हैः—

पद का वेतन : प्रतिमाह 25,000/— (फिक्स पारिश्रमिक)

आयु सीमा : आवेदन प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि पर

न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष।

पहचान सत्यापन

अभ्यर्थी को अपनी पहचान के प्रमाण के लिए पेन कार्ड/पास पोर्ट/ड्राईविंग लायसेंस/वोटर आईडी कार्ड/आधार कार्ड/फोटो युक्त बैंक पास बुक में से किसी एक की मूल प्रति तथा छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा।

चयन प्रक्रिया :

एम.पी. आनलाईन के माध्यम से कराये जाने हेतु अभ्यर्थी के चयन हेतु निम्नानुसार शर्ते रहेगी :—

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी पसन्द की सिर्फ एक जिला बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक के लिये आवेदन कर सकेगा।
2. सहकारी प्रशिक्षु हेतु अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा संधारित शैक्षणिक योग्यता एंव विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंको के प्रतिशत आधार पर निर्धारित वेटेज अनुसार किया जावेगा।

3. एम.पी आनलाईन द्वारा अभ्यर्थी से शैक्षणिक योग्यता की प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नानुसार वेटेज प्रदान किया जावेगा—

क.	शैक्षणिक योग्यता	प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वेटेज
1.	कक्षा 12वी.	20%
2	स्नातक परीक्षा	25%
3	स्नातकोत्तर परीक्षा	40%
4	एडिशनल क्वालीफिकेशन (सीए/आईसीडब्लूए/सीएस कम्पनी सेकेट्री./पीएचडी/ एमफिल	15%
	योग	100%

राज्य सहकारी बैंक एवं समस्त जिला सहकारी बैंकों के लिये चयनित अभ्यर्थीओं में से उपरोक्तानुसार वेटेज के आधार पर समान अंक प्राप्त होते है तो अभ्यर्थी का चयन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

1. सर्वप्रथम जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

2. जन्मतिथि समान रहने की स्थिति में एमबीए अथवा एमबीए के समतुलय डिग्री में प्राप्त अधिक अंक करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

3. जन्म तिथि एवं एमबीए अथवा एमबीए के समतुलय डिग्री में भी समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में स्नातक डिग्री में र्सवाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

4 स्नातक डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिग्री में अभ्यर्थीयों को अंकों के स्थान पर सीजीपीए ग्रेड दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों की गणना सीजीपीए में प्राप्त ग्रेड को 10 अंकों से गुणा करने के पश्चात अंकों की गणना उपरोक्तानुसार प्राप्त अंको के आधार पर की जावेगी।

5. प्रत्येक बैंक के लिये मेरिट के आधार पर 05 अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा। किसी कारणेवश प्रथम चयनित अभ्यर्थी द्वारा ज्वाइन नही किया जाता है या उसके शैक्षणिक या अन्य दस्तावेज त्रुटी पूर्ण रहते है अथवा समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही उसके द्वारा सेवा से त्यागपत्र दे दिया जाता है तो एसी स्थिति में मेरिट लिस्ट में वरियता कम अनुसार अगले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

सामान्य नियम व शर्ते:—

1. अभ्यर्थी द्वारा नियम एवं शर्तो का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये ।
2. अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
3. आवेदन ऑन लाईन आमंत्रित किये जा रहे हैं, अभ्यर्थी का चयन होने पर उसे नियुक्ति तभी प्रदान की जावेगी,

जब उसके द्वारा आवेदन में उल्लेखित जानकारी/दस्तावेज की मूल प्रति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

4. यदि किसी भी समय यह संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी आवेदन—पत्र प्रस्तुत करते समय उसके द्वारा दी गई आवश्यक अहर्ताओं की पूर्ति नहीं करता है, तो उसका आवेदन किसी भी समय अथवा यदि उसका चयन भी हो गया हो तो भी निरस्त कर दिया जायेगा।

5. चयनित अभ्यर्थी की अस्थायी नियुक्ति 12 माह की अवधि के लिये प्रतिमाह 25000 रू. फिक्स पारिश्रमिक पर की जावेगी। सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 1–1 वर्ष के लिये अधिकतम कुल 3 वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

6. बैंक प्रबंधन द्वारा चयनित सहकारी प्रशिक्षु की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी समय समाप्त की

जा सकेगी।

7. चयनित सहकारी प्रशिक्षु को 10 आकस्मिक अवकाश एवं बैंकिंग निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित अवकाश की पात्रता रहेगी।

8. चयनित सहकारी प्रशिक्षु को शीर्ष बैंक में बैंकिंग सहायक के समान एवं जिला बैंक सेवा नियम अनुसार कम्प्यूटर आपरेटर के समान टीए डीए की पात्रता होगी।

9. सहकारी प्रशिक्षु का पद एकाकी होने के कारण आरक्षण प्रावधान लागू नहीं होगें।

10. सहकारी प्रशिक्षु द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य :–

   5. सहकारी प्रशिक्षु द्वारा जिला बैंक एवं प्राथमिक समितियों के दैनिक कार्य संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के साथ ही पैक्स कम्प्यूटराईजेशन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

   6. जिला बैंक एवं प्राथमिक समितियों के लिये डीएपी/एमओयू तैयार करने के साथ ही जिला बैंकों में प्रबंधन द्वारा निर्देशित कार्यो में सहयोग प्रदान किया जावेगा।

11. अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-प्रस्तुत करने पर ही उसकी उपस्थिति मान्य की जावेगी।

12. अभ्यर्थी द्वारा निम्न जिला बैंकों में से किसी एक में आनलाईन आवेदन करना होगा –
बालाघाट/छिंदवाड़ा/जबलपुर/मण्डला/नरसिंहपुर/सिवनी/भिण्ड/दतिया/गुना/ग्वालियर/मुरैना/शिवपुरी/खरगोन/धार/इन्दौर/झाबुआ/खण्डवा/भोपाल/बैतूल/रायसेन/राजगढ़/विदिशा/होशंगाबाद/सीहोर/रीवा/सतना/शहडोल/सीधी/सागर/दमोह/पन्ना/टीकमगढ़/छतरपुर/उज्जैन/देवास/रतलाम/मंदसौर/शाजापुर

13. प्रत्येक आवेदक म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल सहित 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में से किसी एक ही पद के बैंक (संस्थान) हेतु आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक बैंक (संस्थानों) के लिये आवेदन करने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।

प्रभारी प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल